भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अवधसूचना सं. 06/2021- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

साकानि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का समाधान हो जाने पर कि लोकपति में ऐसा करना आवश्यक है, 20% ऐथेरील समिश्रित पेट्रोल जो ऐसा समिश्र है, -

(क) जो 80% मोटर स्पिट (सामान्यता पेट्रोल के रूप में जाता) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20% ऐथेरील, जिस पर यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम द्वारा मिलकर बनेगा; और

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप है,
 को, वित्त अधिनियम, 2018 की पूर्व धारा के अधीन उस पर उद्धृतियों संतुष्ट अतिरक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसर्पर्वा उत्पाद), से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण- इस अवधसूचना के प्रयोजनार्थ-

(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तालमेल प्रकट किसी सूचनात छुट की अवधसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्धृतियों उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्धृतियों अतिरक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विशेष, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्धृतियों विशेष अतिरक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विशेष, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्धृतियों अतिरक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसर्पर्वा और विकास उत्पाद) जो अन्तिम अर्थ संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विशेष में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है, और

(ख) समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्धृतियों केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा।

2. यह अवधसूचना तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत होगी।

[फा.सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीत रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार